

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....7...../2026
सं0सं0 अ0नि0(01) 49/2020/स्था0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2021(24) दिनांक 11.12.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2024 से 06.10.2024 तक कुल 08 (आठ) दिनों, दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 13.12.2024 तक कुल 54 (चौवन) दिनों एवं दिनांक 30.05.2025 से दिनांक 03.06.2025 तक कुल 05 (पाँच) दिन कुल-08+54+05=67 (सड़सठ) दिनों का पत्नी की चिकित्सा हेतु उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(अजीत कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(01) 49/2020/स्था0..... दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियोजक, सिवान/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (01) 49/2020/स्था0.....113..... दिनांक.....9/11/26.....

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।